

प्रारंभिक परीक्षा

इकोवास(ECOWAS)

संदर्भ

एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि आधे से अधिक टोगोवासी ECOWAS छोड़कर साहेल स्टेट्स एलायंस (Sahel States Alliance) में शामिल होने का समर्थन करते हैं।

ECOWAS के बारे में -

- **स्थापना: 1975 (लागोस की संधि)**
- **मिशन:** सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना
- **विज्ञान:** लोकतांत्रिक शासन, कानून का शासन और प्रभावी शासन वाला निर्बाध क्षेत्र
- **सदस्य: 12**
 - माली, नाइजर, बुर्किना फासो ने ECOWAS छोड़ दिया और साहेल स्टेट्स एलायंस बना लिया।
- **मुख्य उद्देश्य:**
 - एकीकृत मुद्रा
 - एकल व्यापार क्षेत्र (क्षेत्रों में: उद्योग, परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा, वित्त, सामाजिक-सांस्कृतिक)
- **संघर्ष समाधान:** इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सैन्य संघर्षों का समाधान करना है
 - प्रबंधित पश्चिमी अफ्रीकी राज्य निगरानी समूह (ECOMOG) शांति सेना (1990-2000 के दशक में नाइजीरिया के नेतृत्व में)
- **मुख्यालय:** अबुजा, नाइजीरिया।

The Members of ECOWAS
Membership as of February 2024



साहेल राज्य?

- तीनों देशों- माली, बुर्किना फासो और नाइजर- ने अमेरिका और फ्रांस के प्रभाव से खुद को दूर रखते हुए रूस से सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए साहेल राज्यों का गठबंधन (AES) बनाया।
- साहेल पश्चिमी और उत्तर-मध्य अफ्रीका में एक अर्ध-शुष्क क्षेत्र है, जो उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।

स्रोत: [Down To Earth](#)

उच्च-उत्सर्जकों के लिए उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों हेतु मसौदा अधिसूचना

संदर्भ

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने उच्च उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है।

उच्च-उत्सर्जकों के लिए उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों हेतु मसौदा अधिसूचना के प्रमुख प्रावधान (MoEFCC, अप्रैल 2024) -

- **उद्देश्य:** भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को पूरा करना।
 - उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में टिकाऊ और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- **अनुपालन-आधारित कार्बन बाजार की शुरुआत:** भारत 2026 में अपना पहला अनिवार्य कार्बन बाजार शुरू करने के लिए तैयार है।
 - मसौदा अधिसूचना इस कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली की नींव रखती है।

तंत्र: कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम -

- उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को पूरा करने वाले या उससे अधिक लक्ष्य प्राप्त करने वाले उद्योग व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट उत्पन्न कर सकते हैं।
- जो लोग लक्ष्य पूरा करने में असफल रहते हैं, वे दूसरों से क्रेडिट खरीद सकते हैं।
- अनुपालन न करने पर सीपीसीबी द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया जाता है।

- **उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य:** लक्ष्य आर्थिक उत्पादन की प्रति इकाई उत्सर्जन पर आधारित होते हैं (तीव्रता-आधारित, निरपेक्ष नहीं)।
 - 2005 के स्तर से 2030 तक जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है।
- **कवरेज का दायरा:** इस योजना के अंतर्गत 282 औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं।
 - **शामिल क्षेत्र:**
 - सीमेंट (सबसे बड़ा हिस्सा – 186 यूनिट)
 - अल्युमीनियम
 - क्लोर-क्षार
 - लुगदी और कागज
 - विद्युत क्षेत्र को इससे बाहर रखा गया, जबकि यह सबसे बड़ा उत्सर्जक (39.2%) है।
- **आधारभूत उत्सर्जन गणना:** प्रत्येक औद्योगिक इकाई के लिए एक आधार रेखा बनाई जाती है, जो निम्नलिखित पर आधारित होती है:
 - प्रत्यक्ष ऊर्जा उत्सर्जन
 - प्रक्रिया उत्सर्जन
 - अप्रत्यक्ष उत्सर्जन
 - CO2 और परफ्लुओरोकार्बन (PFC) को कवर करता है।
- **निगरानी एवं प्रशासन:** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) अनुपालन बाजार का प्रशासन करेगा।
 - सत्यापन और सत्यापन तीसरे पक्ष की एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
 - **NSICM** (भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति) द्वारा निरीक्षण अखंडता सुनिश्चित करता है।

स्रोत: [MongaBay](https://www.mongabay.com)

फाइटोप्लांकटन(Phytoplankton)

संदर्भ

एक नए अध्ययन के अनुसार, मानवीय गतिविधियों के कारण उत्सर्जित आयरन, वसंत ऋतु में फाइटोप्लांकटन के विकास को बढ़ाता है, तथा पोषक तत्वों के उपभोग की दर को भी बढ़ाता है।

फाइटोप्लांकटन के बारे में -

- **परिभाषा:** फाइटोप्लांकटन, या सूक्ष्म शैवाल, सूक्ष्म जीव हैं जो भूमि पौधों की तरह क्लोरोफिल युक्त होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं।
- **निवास स्थान:** वे समुद्र की सतह के पास तैरते हैं जहां सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता है।
- **पोषक तत्व की आवश्यकताएँ:** प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए उन्हें नाइट्रेट, फॉस्फेट और सल्फर जैसे अकार्बनिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
- **फाइटोप्लांकटन के प्रकार:**
 - **डाइनोफ्लैजेलेट्स(Dinoflagellates):** चाबुक जैसी पूंछ का उपयोग करके चलते हैं, जिसे प्लैगेला कहा जाता है।
 - जटिल सुरक्षात्मक कवच होते हैं।
 - **डायटम(Diatoms):** इनमें कठोर, एक दूसरे से जुड़े हुए खोल होते हैं जो भिन्न पदार्थ (सिलिका) से बने होते हैं।
 - इनमें प्लैगेला नहीं होती; ये समुद्री धाराओं के साथ बहते हैं।
- **पारिस्थितिक भूमिका:**
 - झींगा, घोंघे और जेलीफिश जैसे समुद्री जानवरों के लिए प्राथमिक भोजन स्रोत के रूप में काम करते हैं।
 - संतुलित समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायता करते हैं।
- **हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन (HABS):** तब होता है जब अतिरिक्त पोषक तत्व अनियंत्रित फाइटोप्लांकटन वृद्धि का कारण बनते हैं।
 - मछली, शंख, पक्षियों, स्तनधारियों और मनुष्यों के लिए हानिकारक विषाक्त पदार्थ छोड़ सकते हैं।

जापान का नया एआई अधिनियम

संदर्भ

मई 2025 में, जापान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसंधान, विकास और उपयोग को बढ़ावा देने पर एक कानून पेश किया।

जापान के एआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान -

- **रणनीतिक एआई मुख्यालय का निर्माण:** एक केंद्रीय एआई कमांड सेंटर स्थापित किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री और पूर्ण मंत्रिमंडल शामिल होगा।
 - यह एआई अनुसंधान, विकास और तैनाती के लिए एक बुनियादी राष्ट्रीय योजना का मसौदा तैयार करने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- **एआई विकास और उपयोग के लिए बुनियादी सिद्धांत:** अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, एआई के व्यापक और व्यवस्थित विकास और उपयोग को बढ़ावा देने, एआई प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
- **हितधारकों के लिए परिभाषित जिम्मेदारियाँ:** राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, अनुसंधान संस्थानों, व्यवसायों और नागरिकों को भूमिकाएँ सौंपता है।
 - व्यवसायों से अपेक्षा की जाती है कि वे उत्पादकता में सुधार, परिचालन को बढ़ाने और नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से एआई का लाभ उठाएं।
 - उनसे राष्ट्रीय और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा क्रियान्वित नीतिगत उपायों में सहयोग करने की भी अपेक्षा की जाती है।
- **सरकारी नीतिगत उपाय:** राष्ट्रीय सरकार को कई नीतिगत उपाय करने का काम सौंपा गया है, जिसमें अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, एआई उन्नति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास और साझा करना, वैश्विक एआई प्रवृत्तियों की निगरानी करना, और व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने वाले दुरुपयोग के खिलाफ प्रतिवाद स्थापित करना शामिल है।
- **राष्ट्रीय एआई रणनीति:** एआई विकास और उपयोग के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय योजना तैयार करने का आदेश देती है।

Significance of Japan's AI Act

- **Balanced Approach**
Promotes AI innovation while ensuring ethical use and safety.
- **Tech Leadership**
Reinforces Japan's role as a global tech leader and aligns with its tech-focused economic strategies
- **Public Trust**
Boosts transparency and addresses concerns about privacy, jobs, and AI accountability
- **Business Integration**
Supports AI adoption across industries, with major firms already implementing AI tools

स्रोत: [The Hindu](#)

राष्ट्रपति शासन

संदर्भ

मणिपुर विधानसभा के 10 विधायकों के एक समूह ने हाल ही में राज्य के राज्यपाल से मुलाकात कर स्थिर सरकार के गठन का आग्रह किया। मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है।

राष्ट्रपति शासन के बारे में -

राष्ट्रपति शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान -

- **अनुच्छेद 355:** केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार 'संविधान के प्रावधानों' के अनुसार चले।
- **अनुच्छेद 356:** राष्ट्रपति यह घोषणा जारी कर सकता है कि राज्य की सरकार 'संविधान के प्रावधानों' के अनुसार नहीं चलाई जा सकती। (राज्यपाल की रिपोर्ट के साथ या उसके बिना कार्य कर सकता है)।
- **अनुच्छेद 365:** केंद्र के निर्देशों का पालन करने में राज्य सरकार की विफलता → राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य सरकार 'संविधान के प्रावधानों' के अनुसार नहीं चल सकती → राष्ट्रपति शासन

- **अनुमोदन:** संसद के दोनों सदनों द्वारा दो महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित होना आवश्यक है।
- **अवधि:** दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद आपातकाल छह महीने तक जारी रहता है।
 - इसे अधिकतम तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है (प्रत्येक 6 माह पर संसद की मंजूरी)।
- **निरसन:** राष्ट्रपति की घोषणा (संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है)।

राष्ट्रपति शासन के प्रभाव -

- राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य का प्रशासन करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, क्योंकि इससे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है।
- राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की शक्तियों को संसद को हस्तांतरित कर सकते हैं।
- इससे उच्च न्यायालय के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- **राष्ट्रपति किसी राज्य विधानसभा को संसद द्वारा उद्घोषणा के अनुमोदन के बाद ही भंग कर सकते हैं, और तब तक विधानसभा निलंबित रहती है। (एस.आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय)**

न्यायिक समीक्षा और ऐतिहासिक मामला -

- **एसआर बोम्मई केस (1994) - ऐतिहासिक निर्णय:**
 - राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा अनुमेय है।
 - अनुच्छेद-356 का राजनीतिक दुरुपयोग असंवैधानिक है।
 - विधानसभा को संसदीय अनुमोदन से पहले भंग नहीं किया जाना चाहिए; उसे केवल निलंबित अवस्था में ही रखा जा सकता है।
 - संवैधानिक व्यवधान के मामलों में ही किया जाना चाहिए, सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्याओं के लिए नहीं।
- **न्यायिक हस्तक्षेप के अन्य उदाहरण:**
 - **बिहार (2005):** राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया।
 - **उत्तराखंड (2016):** उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति शासन निरस्त किया गया।
 - **अरुणाचल प्रदेश (2016):** सर्वोच्च न्यायालय ने बर्खास्त सरकार को बहाल कर दिया।

तथ्य

- अनुच्छेद 356 का पहली बार प्रयोग 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाते समय किया गया था।
 - मणिपुर: राष्ट्रपति शासन की अधिकतम संख्या - 11 (नवीनतम सहित)।
- संसद, राष्ट्रपति या किसी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद भी प्रभावी बने रहते हैं। अर्थात्, कानून राष्ट्रपति शासन की अवधि के साथ समाप्त नहीं होते हैं।
 - हालाँकि ऐसे कानूनों को राज्य विधानमंडल द्वारा परिवर्तित या निरस्त किया जा सकता है।

स्रोत: [The Hindu](#)



समाचार में स्थान

कोलंबिया



© Encyclopædia Britannica, Inc.

समाचार? कोलंबिया में ग्रैन टोमाटीना कोलम्बियाना मनाया गया।

- यह उत्सव स्पेन के ला टोमाटीना उत्सव की तरह बनाया गया है।

कोलंबिया के बारे में -

- **स्थान:** इसे दक्षिण अमेरिका का प्रवेशद्वार भी कहा जाता है क्योंकि यह महाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है जहां दक्षिण अमेरिका मध्य और उत्तरी अमेरिका से जुड़ता है।
- भूमध्य रेखा जिन 13 देशों से होकर गुजरती है उनमें से एक।
- **राजधानी:** बोगोटा
- **सीमावर्ती देश:** वेनेजुएला और ब्राजील (पूर्व); पनामा (उत्तर); पेरू और इक्वाडोर (दक्षिण)।
 - कैरेबियन सागर, प्रशांत महासागर।
- **भौगोलिक विशेषताएँ:**
 - पिको क्रिस्टोबल कोलोन (उच्चतम बिंदु)
 - नेवाडो डेल रुइज़ (एक सक्रिय ज्वालामुखी)।
 - **प्रमुख नदियाँ:** मैगडेलेना, अमेज़न, ओरिनोको।

स्रोत: [The Hindu](#)

संपादकीय सारांश

आक्रामक प्रजातियों के लिए समाधान के रूप में जैव नियंत्रण एजेंट

संदर्भ

आक्रामक पौधों की प्रजातियों से निपटने के लिए यांत्रिक और रासायनिक नियंत्रण विधियों के अलावा, वैज्ञानिक कवक(fungi) जैसे पारंपरिक जैव नियंत्रण एजेंटों का भी उपयोग करते हैं।

आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में -

- जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) के अनुसार, आक्रामक प्रजातियों को उनके प्राकृतिक वितरण के बाहर लाया जाता है, जिससे जैव विविधता को खतरा होता है।
 - विशेषताएँ: शीघ्रता से प्रजनन करके तथा संसाधनों के लिए देशी प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा करके नए वातावरण में पहुंचने, जीवित रहने और पनपने की क्षमता।
- भारत में: संशोधित **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (2022)** के तहत, उन्हें गैर-देशी प्रजातियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके परिचय या प्रसार से भारत में देशी वन्यजीवों या आवासों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
 - हालाँकि, यह परिभाषा उन प्रजातियों को कवर नहीं करती है जो केवल भारत के कुछ क्षेत्रों में ही आक्रामक हैं, जैसे कि अंडमान में चीतल।
- भारत में आक्रामक प्रजातियों के उदाहरण:
 - जीव-जंतु:
 - मछली: अफ्रीकी कैटफिश, नील तिलापिया, रेड-बेली पिरान्हा, और एलीगेटर गार।
 - कछुए: रेड इयर्ड स्लाइडर, जो एक सामान्य विदेशी पालतू जानवर है जो भोजन और आवास के लिए स्थानीय प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।
 - चीतल: 20वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजों द्वारा लाए गए इस पक्षी का इस द्वीप पर कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है और यह एक आक्रामक प्रजाति बन गई है, जो अंडमान द्वीपसमूह में फैल रही है।
 - वनस्पति:



- मिकानिया माइक्रान्था (जिसे "मील-ए-मिनट वीड" भी कहा जाता है) - जो मध्य और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है, लेकिन भारत में भी कई बार लाया गया - अब जैव विविधता और फसलों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख आक्रामक पौधा है।

आक्रामक प्रजातियों का प्रभाव -

- पारिस्थितिकी क्षति: देशी वनस्पतियों और जीवों को विस्थापित या समाप्त करना
 - लुप्तप्राय प्रजातियों को खतरा (उदाहरण के लिए, मिकानिया से प्रभावित मानस वन्यजीव अभयारण्य के घास के मैदान)
- आर्थिक नुकसान: कृषि और बागानों की कम पैदावार (जैसे, चाय, सागौन, रबर)
 - प्रबंधन और नियंत्रण महंगा है।

- **जैव विविधता के लिए खतरा:** स्थानिक प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण
 - पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ना (उदाहरण के लिए, चूहों को नियंत्रित करने के लिए लाए गए भारतीय नेवले ने स्थानीय वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाया)
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं:** कुछ आक्रामक पौधे एलर्जी और त्वचा में जलन पैदा करते हैं (उदाहरण, पार्थेनियम)।

आक्रामक प्रजातियों पर नियंत्रण के उपाय -

- **यांत्रिक नियंत्रण:** हाथ से निराई, उखाड़ना, जलाना
 - प्रभावी लेकिन श्रम-गहन और अस्थायी
 - मिकानिया कई सेमी/दिन बढ़ता है - जिसे मैनुअल रूप से हटाना कठिन है।
- **रासायनिक नियंत्रण:** शाकनाशियों और कीटनाशकों का उपयोग
 - प्रायः पर्यावरण के लिए हानिकारक और महंगा
 - प्रभाव लंबे समय तक नहीं टिक सकते
- **शास्त्रीय जैविक नियंत्रण:** मूल निवास स्थान से प्राकृतिक शत्रुओं (कीट, कवक, रोगजनकों) का प्रवेश
 - **उदाहरण:** पुकिनिया स्पेगाज़िनी कवक का उपयोग मिकानिया माइक्रान्था के विरुद्ध किया जाता है
 - जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा बीटल का उपयोग पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस के विरुद्ध किया जाता है
 - साल्विनिया मोलेस्टा के लिए वेविल साइरटोबैगस साल्विनिए
- **नीतिगत एवं नियामक उपाय:** संगरोध कानून और जैव सुरक्षा को मजबूत करना
 - समय पर अनुमोदन
 - किसानों और हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना
- **अनुसंधान एवं निगरानी:** उपयुक्त जैव नियंत्रण एजेंटों की पहचान के लिए सतत पारिस्थितिक अनुसंधान
 - जलवायु उपयुक्तता अध्ययन, क्योंकि जलवायु परिवर्तन प्रभावकारिता को प्रभावित कर सकता है।

जैविक नियंत्रण एजेंटों की सीमाएँ -

- **मेजबान विशिष्टता आवश्यक:** देशी वनस्पतियों/जीवों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए केवल आक्रामक प्रजातियों को ही लक्ष्य बनाना चाहिए।
- **समय लेने वाली प्रक्रिया:** इसमें वर्षों के अनुसंधान, परीक्षण और विनियामक अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- **पारिस्थितिक जोखिम:** स्वयं आक्रामक बनने या स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करने की क्षमता।
- **जलवायु संवेदनशीलता:** अनुपयुक्त तापमान या आर्द्रता की स्थिति में प्रभावशीलता कम हो सकती है।
- **धीमे परिणाम:** रासायनिक तरीकों के विपरीत, प्रभाव दिखने में महीनों या वर्षों का समय लग सकता है।
- **सीमित दायरा:** तेजी से बढ़ने वाली या सामान्य आक्रामक प्रजातियों (जैसे, कुछ मछलियाँ या कीड़े) के विरुद्ध कम प्रभावी।

निष्कर्ष -

मिकानिया माइक्रान्था जैसी आक्रामक प्रजातियाँ गंभीर पारिस्थितिक और आर्थिक खतरे पैदा करती हैं। जबकि रासायनिक और यांत्रिक तरीकों की सीमाएँ हैं, जैविक नियंत्रण, हालाँकि धीमा है, एक टिकाऊ और पारिस्थितिक रूप से सौम्य रणनीति है। हालाँकि, सफलता सरकारी सहायता, सार्वजनिक जागरूकता और समय पर अनुमोदन पर निर्भर करती है।

स्रोत: [Mongabay](https://www.mongabay.com)

एफडीआई में गिरावट

संदर्भ

आरबीआई बुलेटिन (मई 2025) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के आंकड़े प्रदान करता है।

रुझान -

- **भिन्न आंकड़े:**
 - वित्त वर्ष 2025 में सकल एफडीआई प्रवाह 81 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
 - शुद्ध एफडीआई तेजी से गिरकर 353 मिलियन डॉलर पर आ गया, जो लगभग शून्य है।
- **घटता एफडीआई अनुपात:**
 - सकल एफडीआई-जीडीपी अनुपात 3.1% (वित्त वर्ष 2021) से घटकर 2.1% (वित्त वर्ष 2025) हो गया।
 - इसी अवधि में शुद्ध एफडीआई-जीडीपी 1.6% से घटकर 0% हो गया।
 - सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) के प्रतिशत के रूप में एफडीआई वित्त वर्ष 21 में 7.5% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन उसके बाद इसमें भारी गिरावट आई।
- **बढ़ता विनिवेश और बाह्य एफडीआई (OFDI):**
 - विनिवेश और भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशों में निवेश के कारण पूंजी बहिर्गमन में वृद्धि।
 - OFDI का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सिंगापुर और मॉरीशस जैसे कर-मुक्त देशों में चला जाता है।
- **एफडीआई संरचना में बदलाव:**
 - निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल (पीई/वीसी) फंड अब एफडीआई पर हावी हैं, जो वित्त वर्ष 21 तक 75.9% से अधिक प्रवाह का गठन करेंगे।
 - ग्रीनफील्ड एफडीआई (नई परियोजनाओं) में लगातार गिरावट देखी गई है।

विचलन के कारण -

- **उच्च प्रत्यावर्तन और विनिवेश:** आधे से अधिक एफडीआई प्रवाह को लाभांश, शेयर बिक्री या निकासी के माध्यम से वापस भेज दिया गया।
 - अल्पावधि (3-5 वर्ष) अवधि वाले पीई/वीसी फंडों को शेयर बाजार में तेजी के दौरान भुनाया गया।
- **बढ़ता विदेशी प्रत्यक्ष निवेश:** भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं का लाभ उठाने के लिए विदेशों में अधिक निवेश कर रही हैं।
 - इससे शुद्ध एफडीआई कम हो जाता है, क्योंकि अधिक पूंजी बाहर प्रवाहित होती है।
- **वैश्विक प्रतिकूलताएं:** उच्च ब्याज दरें, युद्ध और वैश्विक आर्थिक मंदी ने निवेशकों को सतर्क कर दिया।
 - इसके परिणामस्वरूप भारत में नये निवेश में कमी आई।
- **नीतिगत एवं विनियामक अनिश्चितता:** जटिल नियम, कमजोर प्रवर्तन, तथा मजबूत निवेश संधियों का अभाव निवेशकों को हतोत्साहित कर रहा है।

प्रभाव -

- **निवेश की मजबूती का भ्रम:** मुख्य आंकड़े (सकल अंतर्वाह) वास्तविक उत्पादक निवेश की अंतर्निहित कमजोरी को छिपा देते हैं।
- **पूंजी निर्माण में कम योगदान:** ब्राउनफील्ड और वित्तीय एफडीआई का प्रभुत्व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन या औद्योगिक उन्नयन को सीमित करता है।
- **आर्थिक भेद्यता:** अल्पावधि, सट्टा प्रवाह के कारण उच्च अस्थिरता आर्थिक स्थिरता को कम करती है।
- **नीतिगत विश्वसनीयता की हानि:** सरकारी दावों और वास्तविक आंकड़ों के बीच विसंगति निवेशकों के विश्वास और नीति निर्माता की विश्वसनीयता को कमजोर करती है।

- **औद्योगिक विकास में कमी:** भारत के विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को कम लाभ मिलता है, जिससे संरचनात्मक आर्थिक समस्याएं और अधिक गंभीर हो जाती हैं।

आगे की राह -

- **ग्रीनफील्ड एफडीआई पर ध्यान केन्द्रित करना:** लक्षित नीति और व्यापार में आसानी के माध्यम से बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास में दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करना।
- **पूजी प्रवाह विनियमन को कड़ा करना:** पीई/वीसी प्रवाह को अधिक सावधानी से विनियमित करना, विशेष रूप से कर आश्रय वाले देशों के माध्यम से; राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करना।
- **निवेश वातावरण में सुधार:** गंभीर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत स्पष्टता बढ़ाएं, नौकरशाही बाधाओं को कम करें और अनुबंध प्रवर्तन को मजबूत करना।
- **पारदर्शी रिपोर्टिंग:** बेहतर नीति निर्माण के लिए उत्पादक बनाम वित्तीय प्रवाह के बीच अंतर करने के लिए एफडीआई डेटा को अलग-अलग करना।
- **कर संधियों में सुधार और संधि खरीदारी पर अंकुश:** राउंड-ट्रिपिंग और दुरुपयोग को रोकने के लिए कर आश्रयों के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौतों (डीटीएए) को संशोधित करना।
- **घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना:** भारत को गुणवत्तापूर्ण एफडीआई के लिए एक गंतव्य बनाने के लिए घरेलू स्तर पर प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना।

स्रोत: [The Hindu](https://www.thehindu.com)



विस्तृत कवरेज

ग्लेशियर संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता

संदर्भ

भारत ने ताजिकिस्तान के दुशांबे में ग्लेशियरों पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पूर्ण सत्र में ग्लेशियर आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

ग्लेशियरों का महत्व -

- **मीठे पानी के जलाशय:** ग्लेशियर दुनिया के लगभग 70% मीठे पानी का भंडारण करते हैं, जिससे वे पृथ्वी पर सबसे बड़े मीठे पानी के जलाशय बन जाते हैं।
- **जल आपूर्ति:** एशिया में, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा नदी लगभग 400 मिलियन लोगों को जल उपलब्ध कराती है।
- **जलवायु का नियमन:** ग्लेशियर अपने उच्च एल्बिडो के कारण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
- **आर्थिक मूल्य:** ग्लेशियर प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहायता मिलती है।
 - उदाहरण के लिए, न्यूजीलैंड में ग्लेशियर पर्यटन से प्रति वर्ष 81 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान होता है।
- **सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व:** कई स्वदेशी समुदाय ग्लेशियरों को पवित्र मानते हैं।
 - उदाहरण के लिए, पेरू के एण्डीज में स्नो स्टार महोत्सव ग्लेशियरों के आध्यात्मिक महत्व का जश्न मनाता है।

वर्तमान चुनौतियाँ क्या हैं?

- **जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर बर्फ की हानि:** 2000 और 2023 के बीच, ग्लेशियरों ने प्रति वर्ष औसतन 273 बिलियन टन बर्फ खो दी (विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अनुसार)।
- **प्राकृतिक खतरे:** मई 2025 में, स्विट्सर्लैंड गांव ब्लैटन बर्च ग्लेशियर के ढहने से हुए बड़े पैमाने पर भूस्खलन से लगभग नष्ट हो गया, जिससे अल्पाइन क्षेत्रों में बढ़ती अस्थिरता पर प्रकाश पड़ा।
 - **ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ):** वैश्विक स्तर पर 15 मिलियन से अधिक लोग जीएलओएफ से उच्च जोखिम में हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, पेरू और चीन जैसे देश सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं।
- **अपरिहार्य हानि:** यदि वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5°C तक सीमित भी हो जाए, तो भी विश्व के लगभग 40% ग्लेशियर लुप्त हो जाने का अनुमान है।
 - यदि तापमान में 2.7°C की वृद्धि होती है तो 75% तक जल नष्ट हो सकता है, जिससे समुद्र के स्तर और मीठे पानी की उपलब्धता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
- **समुद्र का बढ़ता स्तर और बाढ़ का खतरा:** 2000-2023 के बीच ग्लेशियरों के पिघलने से लगभग 18 मिमी. उस अवधि के दौरान वैश्विक समुद्र-स्तर में वृद्धि हुई।
 - ग्लेशियरों का पिघलना अब वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि का दूसरा सबसे बड़ा कारण है।
- **भू-राजनीतिक और संसाधन तनाव:** जैसे-जैसे हिमनद जल संसाधन कम होते जाएंगे, सीमापार तनाव बढ़ सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां नदियां राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती हैं (जैसे, हिंदू कुश-हिमालयी क्षेत्र)।
 - घटती जल आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा, हिमनद नदियों को साझा करने वाले देशों के बीच राजनीतिक विवादों को बढ़ा सकती है।

ग्लेशियर संरक्षण के लिए उठाए गए कदम -

भारत की पहल -

- **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएचई):** यह भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो नाजुक हिमालयी पर्यावरण की रक्षा पर केंद्रित है।
- **क्रायोस्फीयर एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र:** भारतीय हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों और संबंधित परिवर्तनों की निगरानी के लिए स्थापित किया गया।
- **आपदा तैयारी उपाय:** इसमें आपदा जोखिम को कम करने के लिए ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) से प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण करने जैसी पहल शामिल हैं।

वैश्विक पहल -

- **ग्लेशियर संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और दशक:** यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2025-2034 को क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए कार्रवाई का दशक घोषित किया है।
 - पहली बार 'अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर दिवस' 21 मार्च 2025 को मनाया गया।
- **पेरिस समझौता (2015):** इसका उद्देश्य ग्लेशियरों और जलवायु प्रणालियों की रक्षा के लिए वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2°C से नीचे, बेहतर होगा कि 1.5°C तक सीमित करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (आईसीआईएमओडी):** एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी निकाय जो हिंदू कुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्र और इसके क्रायोस्फीयर के संरक्षण के लिए काम कर रहा है।

आगे की राह -

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में आक्रामक रूप से कमी लाना:** वैश्विक तापमान वृद्धि को पेरिस समझौते के 1.5°C के लक्ष्य तक सीमित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **नवीन भू-इंजीनियरिंग समाधानों का अन्वेषण करना:** ग्लेशियर पिघलने की गति को धीमा करने के लिए नए इंजीनियरिंग समाधान विकसित किए जा रहे हैं।
 - इनमें पानी के नीचे के पर्दे (गर्म समुद्री धाराओं को ग्लेशियरों तक पहुंचने से रोकने के लिए) और एल्बिडो वृद्धि (ग्लेशियर सतहों पर ग्लास माइक्रोस्फीयर जैसी परावर्तक सामग्री के अनुप्रयोग के माध्यम से) शामिल हैं।
- **स्थानीय अनुकूलन और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली को लागू करना:** समुदाय भारत के लद्दाख में बर्फ स्तूप जैसे नवीन उपायों को अपना रहे हैं, जो कृत्रिम ग्लेशियर हैं जो शुष्क मौसम के लिए सर्दियों के पानी को संग्रहीत करते हैं।
 - इसके अतिरिक्त, हिमनदीय जलग्रहण क्षेत्रों में पुनर्वनीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली से स्थानीय जलवायु स्थिर हो सकती है, बर्फ का क्षरण धीमा हो सकता है, तथा कार्बन अवशोषण बढ़ सकता है।
- **निगरानी, अनुसंधान और डेटा संरक्षण में वृद्धि:** रिमोट सेंसिंग (उपग्रह इमेजरी और डीप लर्निंग) जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियां ग्लेशियर मानचित्रण और परिवर्तन का पता लगाने में सुधार कर रही हैं।
 - आइस मेमोरी पहल जैसी परियोजनाएं, खतरे में पड़े ग्लेशियरों से बर्फ के टुकड़ों को संग्रहित करने तथा भविष्य के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अमूल्य जलवायु अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **वैश्विक नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना:** ग्लेशियर संरक्षण को प्राथमिकता देने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की वकालत करना और उनमें भाग लेना (ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (2025) जैसी पहल)।

स्रोत: [PIB](#)